TaxcodeIN | www.taxcode.in

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2019

No. 29/2019 – Central Tax

G.S.R.455(E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from July 2019 to September 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.** – Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

सं. 30/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.456(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति जो रजिस्ट्रिकृत नहीं है, को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुँच या पुनः प्राप्ति सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप-नियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

3. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप-नियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

[फा.सं. 20/06/16/2018 –जीएसटी]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2019

No. 30 /2019 – Central Tax

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as "the said Act"), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons registered under section 24 of the said Act read with rule 14 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as "the said rules"), supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish an annual return in **FORM GSTR-9** under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules.

TaxcodeIN | www.taxcode.in

TaxcodeIN | www.taxcode.in

3. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules.

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

सं 31/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.457(अ).—केन्द्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10.क **बैंक खाते के ब्यौरों का दिया जाना** – सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-06** में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए जाने और माल और सेवा कर पहचान संख्या समनुदेशित किए जाने के पश्चात् ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न जिसे, यथास्थिति, नियम 12 या नियम 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर, यथाशक्य, शीघ्र किंतु रजिस्ट्रीकरण दिए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के अपश्चात् या उस तारीख को, जिसको धारा 39 के अधीन विवरणी का दिया जाना अपेक्षित है, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, बैंक खाते के ब्यौरे के सबंध में जानकारी या कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा। "।

3. उक्त नियमों के नियम 21 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन करता है ।"।

4. उक्त नियमों के नियम 32 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"32क. उन दशाओं में प्रदाय का मूल्य जहां केरल खाद्य उपकर लागू होता है –ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य को, जिन पर केरल वित्त विधेयक, 2019 के खंड 14 के अधीन केरल खाद्य उपकर का उद्ग्रहण किया गया है, अधिनियम की धारा 15 के निबंधनों में अवधारित किया गया मूल्य समझा जाएगा किंतु उसे उक्त उपकर को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।"।

5. उक्त नियमों के नियम 46 में पांचवें परंतुक के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिसों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि प्रदाय पत्र का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा ।"।

6. उक्त नियमों के नियम 49 में तीसरे परंतुक के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जावे वाली तारीख से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि प्रदाय पत्र का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा ।"।

TaxcodeIN | www.taxcode.in